W/R

न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

रेफरेन्स / एल.आर. /5102 / 2005 / जिला धौलपुर
राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार धौलपुर।

.....प्रार्थी

बनाम

दोजी पुत्र जीवा तेली निवासी ग्राम सादिकपुर, तहसील व जिला धौलपुर।

.....अप्रार्थी

एकलपीठ
श्री मूलचन्द मीणा, सदस्य

उपस्थित :
श्री एस.के.शर्मा, उप राजकीय अभिभाषक प्रार्थी ।
श्री अजयपाल ढिढारिया, अभिभाषक अप्रार्थी।

निर्णय

दिनांकः— 31 / 10 / 2012

1— राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत यह रेफरेन्स पकरण अतिरिक्त जिला कलेक्टर धौलपुर ने अपने निर्णय एवं अभिशंषा दिनांक 15—7—05 द्वारा राजस्व मण्डल को प्रेषित किया गया है।

2— प्रकरण के सुसंगत तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि प्रार्थी तहसीलदार ने एक प्रार्थना पत्र न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर धौलपुर के समक्ष पेश कर कथन किया कि ग्राम सादिकपुर तहसील धौलपुर की आराजी खसरा नम्बर 380 रकबा 1 बीघा 6 बिस्वा, खसरा नम्बर 386 रकबा 1 बीघा 9 बिस्वा के पूर्व खातेदार सोना, रामचरन, रामदयाल पिसरान जीवा जाति खटीक थे जो अनुसूचित जाति के सदस्य थे। उक्त खातेदारों ने उपरोक्त आराजी को सम्वत 2031 में अप्रार्थी दोजी पुत्र जीवा तेली निवासी सादिकपुर को सिकमी काश्त पर अपनी मर्जी से दे दी जो गैर अनुसूचित जाति का सदस्य है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के प्रावधानों का उल्लंघन होने से सहायक कलेक्टर धौलपुर ने राजस्थान काश्तकारी

अधिनियम की धारा 175 के तहत कार्यवाहीं करते हुये निर्णय दिनांक 28–04–77 द्वारा विवादित आराजी को सिवायचक घोषित कर दिया। उक्त विवादित आराजी को आवंटन कमेटी ने दिनांक 18–11–77 द्वारा उक्त शिकमी कृषक दोजी पुत्र जीवा तेली को ही नियमों के विपरीत आवंटन कर दिया जो कि राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 (संक्षेप में **'1970 के नियम'**) के नियम 6(3) का स्पष्ट उल्लंघन है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 175 के अन्तर्गत सिवायचक की गई भूमियों को अनुसूचित जाति से भिन्न जाति को आवंटन नहीं किया जा सकता है। अतः आवंटन आदेश नियम विरूद्ध होने से निरस्तनीय है। अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने उभय पक्ष को सुनकर अपने निर्णय दिनांक 15–07–05 द्वारा प्रार्थी/तहसीलदार का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर आवंटन आदेश दिनांक 18–11–77 एंव उसकी पालना में प्राप्त खातेदारी अधिकारों को निरस्त करने हेतु राजस्व मंडल में यह रेफरेंस प्रेषित किया गया है।

3– उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

4– विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने बहस करते हुये अभिकथन किया कि पूर्व में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 175 के तहत कार्यवाहीं करते हुये निर्णय दिनांक 28–04–77 द्वारा विवादित आराजी को सिवायचक घोषित किया गया था। उक्त विवादित आराजी को आवंटन कमेटी ने पुनः उक्त शिकमी कृषक दोजी पुत्र जीवा तेली को ही नियमों के विपरीत आवंटन कर दिया जो कि 1970 के नियमों के नियम 6 (3) का स्पष्ट उल्लंघन है। अतः रेफरेंस स्वीकार किया जाकर आवंटन आदेश निरस्त करते हुये विवादित आराजी रकबा राज दर्ज करवाने के आदेश प्रदान करावें।

5– उपरोक्त तर्को का विरोध करते हुये विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी ने बहस में कहा कि तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत रेफरेंस अवधि बाधित होने से चलने योग्य नहीं है। विवादित आराजी अप्रार्थी को नियमानुसार आवंटित होकर उसके नाम खातेदारी में दर्ज हो चुकी है। आवंटन दिनांक से लेकर आज दिनांक तक विवादित आराजी पर अप्रार्थी का कब्जा लगभग 30 वर्ष से निरंतर चला आ रहा है। इतने लम्बे समय के पश्चात अप्रार्थी का आवंटन निरस्त किया जाना न्यायसंगत नहीं है। अप्रार्थी द्वारा आवंटन न तो तथ्यों को छुपाकर कराया गया है और न ही फर्जीवाडा किया है। ऐसी स्थिति में रेफरेंस के माध्यम से अप्रार्थी को हुये विधिवत आवंटन को इतने लम्बे समय

पश्चात निरस्त नहीं किया जा सकता। प्रस्तुत रेफरेंस प्रथम दृष्ट्या तर्क संगत नहीं होने से खारिज किया जावे।

6— उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया और अतिरिक्त जिला कलेक्टर, धौलपुर की सम्बन्धित पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात व आलोच्य निर्णय का आद्योपान्त अवलोकन व अध्ययन किया गया।

7— प्रकरण में कुछ तथ्य निर्विवाद हैं, यथा वादग्रस्त भूमि पूर्व में अनुसूचित जाति के सदस्यों की खातेदारी की थी, जिसे गैर अनुसूचित जाति के सदस्य वर्तमान अप्रार्थी दोजी जाति तेली को बतौर शिकमी काश्तकार वास्ते काश्त देने पर धारा 175 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की कार्यवाही की गयी और वादग्रस्त भूमि को सिवायचक दर्ज किया गया। यह भी निर्विवाद है कि उसी भूमि का आवंटन अप्रार्थी दोजी तेली को ही आवंटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 18—11—1977 को कर दिया गया। राज्य सरकार का अभिकथन है कि ऐसा आवंटन नियमों के विपरीत है, अतः आवंटन व अप्रार्थीगण की खातेदारी निरस्तनीय है। अप्रार्थी का एक मात्र तर्क यह है कि वादग्रस्त भूमि उसे आवंटन सलाहकार समिति द्वारा आवंटित की गयी है और वक्त आवंटन से ही उसका कब्जा—काश्त है तथा उसे खातेदारी भी मिल चुकी है। अतः इतने लम्बे समय बाद रेफेरेंस के माध्यम से उसकी खातेदारी को निरस्त नहीं किया जा सकता है। अप्रार्थी पक्ष का यह भी अभिकथन है कि आवंटन तथ्य छिपा कर अथवा फर्जीवाड़ा करके नहीं कराया गया है, अतः अब आवंटन को निरस्त नहीं किया जा सकता है।

8— हस्तगत प्रकरण में राज्य सरकार द्वारा यह आधार नहीं लिया गया है कि अप्रार्थी द्वारा तथ्य छिपा कर अथवा फर्जकारी करके आवंटन कराया हो। एक मात्र आधार यही है कि आवंटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 18—11—1977 को किया गया आवंटन 1970 के नियमों के नियम 6 (3) के उल्लंघन में किया गया है। 1970 के नियमों का नियम 6 (3) निम्न प्रकार हैः—

> *"(3) The land belonging to a member of Scheduled Caste or Scheduled Tribe which vests in the State under section 175 of the Rajasthan Tenancy Act, 1955 shall be allotted only to a member of a Scheduled Caste or Scheduled Tribes respectively under the provisions of these rules."*

इस प्रकार उपरोक्त नियम 6 (3) के प्रावधान स्पष्ट हैं कि अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के सदस्य की भूमि अगर राजस्थान

काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 175 के अन्तर्गत राज्य सरकार में निहित हुई है तो ऐसी भूमि का आवंटन केवल अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति को ही किया जावेगा। किन्तु उल्लेखनीय तथ्य यह है कि उपरोक्त नियम 6 (3) को 1970 के नियमों में राजस्थान भूराजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) (संशोधन) नियम 1979 द्वारा जोड़ा गया है, जो कि राजस्थान राजपत्र में दिनांक 13–12–1979 को प्रकाशित हुआ है। उपरोक्त संशोधन भूतलक्षी प्रभाव से नहीं है अर्थात उपरोक्त नियम 6 (3) दिनांक 13–12–1979 से प्रभावी है। इससे पूर्व के आवंटनों पर उक्त नियम को लागू नहीं किया जा सकता है। हस्तगत प्रकरण में अप्रार्थी दोजी तेली को वादग्रस्त भूमि का आवंटन दिनांक 18–11–1977 को किया गया है। अतः हमारा मत है कि 18–11–1977 को किया गया आवंटन 1970 के नियमों के के नियम 6 (3) से अप्रभावित है। अतः उक्त आवंटन को नियम 6 (3) के आधार पर रेफेरेंस के माध्यम से निरस्त नहीं किया जा सकता है।

9– उपरोक्त विवेचन के आधार पर इस न्यायालय का यह सुविचारित मत है कि हस्तगत रेफेरेंस विधिक प्रावधानों के विपरीत होने से खारिज किये जाने योग्य है।

10– परिणामतः हस्तगत रेफेरेंस को अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(मूलचन्द मीणा)
सदस्य